आदेश

कारोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22–03–2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लॉक डाउन घोषित किया गया है। सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र दिनांक 26 मार्च, 2020 द्वारा जनपद के कतिपय क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक, बीमार, असहाय, गर्भवती महिलाओं व रोजमर्रा के कार्यो से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों को फूड पैकेट वितरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी सन्दर्भ में कतिपय सामाजिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा गरीब, असहाय, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरित की जा रही है। इस उद्देश्य से आवश्यक है कि भोजन सामग्री निर्धारित केन्द्रों पर ही वितरित की जाय ताकि पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तहसील हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत भोजन सामग्री वितरित किये जाने हेतु निम्नानुसार केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है :–

क्र0	थाना क्षेत्र	भोजन वितरण केन्द्र	
1	थाना कोतवाली नगर हरिद्वार	1.दूधाधारी हैलीपैड, हरिद्वार 2.हरकी पौड़ी , हरिद्वार 3.दूधियाबन्द (भूमा निकेतन के पीछे), हरिद्वार 4.प्राथमिक विद्यालय नं0–5 कोत0 नगर के पास, हरिद्वार	
2	थाना कोतवाली ज्वालापुर	1.रेलवे स्टेशन ज्वालापुर 2.जटवाड़ा पुल, ज्वालापुर 3.ज्वालापुर, इन्टर कालेज ज्वालापुर	
3	थाना कनखल	1.हरिराम इन्टर कालेज, कनखल	
4	थाना कोतवाली रानीपुर	1.सतसंग भवन, रानीपुर 2.चिन्मय डिग्री कालेज, रानीपुर	
5	थाना बहादराबाद	1.आर्य इन्टर कालेज, खेडली 2.आदर्श इन्टर कालेज, बौंगला 3.रेल का डिब्बा बेगमपुर	
6	थाना सिडकुल	1.अम्बेडकर चौक 2.प्राथमिक विद्यालय रावली महदूद–2 3.पुलिस चौकी राजा बिस्किट 4.रोशनाबाद स्टेडियम 5.केविन केयर तिराहा रोशनाबाद 6.महादेवपुरम (पप्पू चौहान बिल्डिंग के पास)	

उपरोक्त निर्धारित केन्द्रों पर मध्यान्ह भोजन का वितरण दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक रात्रि भोजन सायं 6.00 बजे से 8.00 बजे के मध्य वितरित किया किया जायेगा। उक्त केन्द्रों पर कोई भी जरुरतमन्द व्यक्ति अपना परिचय पत्र दिखाकर भोजन सामग्री प्राप्त कर सकता है।

ऐसे समस्त सामाजिक संगठन/संस्थाऐं जो इस महामारी के दृष्टिगत अपनी स्वेच्छा से गरीब, असहाय, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरित करना चाहते हैं वे उपरोक्त निर्धारित केन्द्रों पर ही भोजन सामग्री वितरित करने का कष्ट करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(सी0 रविशंकर)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

संख्याः–2351 /एसपीओ–2020,

दिनांक 4 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को व्हाटअप/मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त केन्द्रों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हेतु सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

2– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

3– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार को उपरोक्त सम्बन्धित केन्द्रों पर पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

4– श्री हरबीर सिंह, सचिव हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण/नोडल अधिकारी, हरिद्वार

5– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वित्त एवं राजस्व)/नोडल अधिकारी कोविड–19, हरिद्वार।

6– नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।

7– सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्धारित/सम्बन्धित केन्द्रों पर्याप्त सफाई व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

8– जिला सूचनाधिकारी हरिद्वार को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner